न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री रामसिंह गुर्जर, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 47/2023

प्रार्थीगण — **बनाम** — विप्रार्थीगण

प्रार्थीगण

1. दोलाराम पुत्र ईशराराम उम्र 45 वर्ष
2. कुंभाराम पुत्र ईशराराम उम्र 33वर्ष
3. भूराराम पुत्र ईशराराम उम्र 49 वर्ष
4. माडूदेवी पत्नि ठाकराराम उम्र 70 वर्ष
5. मीरोदेवी पत्नि ईशराराम उम्र 66 वर्ष
   जाति जाट निवासी मेघवालो की ढाणीयां (कला), कोशलू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर ।

विप्रार्थीगण

1. खेताराम पुत्र किसनाराम उम्र 65 वर्ष
2. खीयाराम पुत्र किसनाराम उम्र 80 वर्ष
3. भूराराम पुत्र किसनाराम उम्र 75 वर्ष
4. हरजीराम पुत्र किसनाराम उम्र 70 वर्ष
5. तेजाराम पुत्र देराजराम उम्र 50 वर्ष
6. राजूराम पुत्र देराजराम उम्र 35 वर्ष
7. लुम्बाराम पुत्र देराजराम उम्र 40वर्ष
8. लाभूराम पुत्र देराजराम उम्र 37 वर्ष
9. अणसी पत्नि हरदानराम उम्र 40 वर्ष
10. ईशराराम पुत्र कुंभाराम उम्र 60 वर्ष
11. चेनाराम पुत्र कुभाराम उम्र 55 वर्ष
12. ठाकराराम पुत्र कुभाराम उम्र 30 वर्ष
13. देवपाल पुत्र हरदानराम उम्र 19 वर्ष
14. भेराराम पुत्र मोतीराम उम्र 80वर्ष
    जातियान जाट निवासीयान मेगवलो की ढाणियां (कला)
15. जीयोदेवी पत्नि जेठाराम उम्र 90 वर्ष
16. साजनराम पुत्र जेठाराम उम्र 60वर्ष
    जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी मेगवलो की ढाणी (कला)
17. पदमोदेवी पत्नि लिसमणाराम उम्र 50 वर्ष
18. मानीदेवी पत्नि हेमराज उम्र 35 वर्ष
    जाति जाट निवासीयान मेगवलो की ढाणीया कला ।
19. चुतराराम पुत्र देवाराम उम्र 60 वर्ष
20. चुनाराम पुत्र देवाराम उम्र 45 वर्ष
21. रामाराम पुत्र देवाराम उम्र 40 वर्ष
22. चोलाराम पुत्र अमराराम उम्र 42वर्ष
23. बाबूराम पुत्र चोलाराम उम्र 50 वर्ष
    जाति जाट निवासीयान नेहरो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
24. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री पाबूराम बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 14.06.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा मेगवालों की ढाणियां(कला) पटवार क्षेत्र कोशलू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 386 रकबा 14.9746 हैक्टेयर, खसरा संख्या 389 रकबा 8.6725 हैक्टेयर अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा खेत मौजा मेगवालों की ढाणियां(कला) पटवार क्षेत्र कोशलू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 386 रकबा 14.9746 हैक्टेयर, खसरा संख्या 389 रकबा 8.6725 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत मौजा मेगवालों की ढाणियां(कला) पटवार क्षेत्र कोशलू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 386 रकबा 14.9746 हैक्टेयर, खसरा संख्या 389 रकबा 8.6725 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है एवं सेढ़ो की माठों को खुर्द बुर्द किया जाता रहा है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा मेगवालों की ढाणियां(कला) पटवार क्षेत्र कोशलू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 386 रकबा 14.9746 हैक्टेयर, खसरा संख्या 389 रकबा 8.6725 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा मेगवालों की ढाणियां(कला) पटवार क्षेत्र कोशलू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 386 रकबा 14.9746 हैक्टेयर, खसरा संख्या 389 रकबा 8.6725 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार

सहायक अधिकारी
...

प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा मेगवालों की ढाणियां(कला) पटवार क्षेत्र कोशलू तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 386 रकबा 14.9746 हैक्टेयर, खसरा संख्या 389 रकबा 8.6725 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किंया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 14.06.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी